न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–श्री चावण्डदान चारण (आर.ए.एस)

(1) प्रकरण संख्या – डिक्री 403 सन् 2016
पंजीयन दिनांक 13.10.2016

1. मोहनलाल पिता प्रेमचन्द जाति धाकड़ निवासी सरसी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
2. सुखी बाई पत्नि प्रेमचन्द जाति धाकड़ निवासी सरसी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलांटगण

विरूद्व

1. गोपाल पिता मोतीलाल जाति धाकड़ निवासी सरसी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
2. श्यामलाल पिता मोतीलाल जाति धाकड़ निवासी सरसी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
3. मुन्नी बाई पिता मोतीलाल पति शांतिलाल निवासी कनेरा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
4. गुड्डी बाई पिता मोतीलाल पति गोपाललाल निवासी बांगेडाघाटा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
5. दाखी बाई पत्नि मोतीलाल जाति धाकड़ निवासी सरसी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
6. बंशीलाल पिता मांगीलाल जाति धाकड़ निवासी सरसी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
7. सोहनलाल पिता मांगीलाल जाति धाकड़ निवासी सरसी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
8. लाभचन्द पिता मांगीलाल जाति धाकड़ निवासी सरसी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
9. कला बाई पुत्री मांगीलाल पत्नि सोहनलाल जाति धाकड़ निवासी सरसी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
10. कैलाश चन्द पिता भागु जाति धाकड़ निवासी बरखेडा तहसील मनासा जिला नीमच
11. शांतिबाई पुत्री भागु जाति धाकड़ निवासी बरखेडा तहसील मनासा जिला नीमच
12. मंजुबाई पुत्री जगन्नाथ पत्नि कालुराम जाति धाकड़ निवासी मैलाना तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
13. राधा बाई पुत्री जगन्नाथ जाति धाकड़ निवासी सरसी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
14. संतोषबाई पुत्री जगन्नाथ पत्नि पप्पुलाल जाति धाकड़ निवासी सरसी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
15. सुनीता पुत्री जगन्नाथ पत्नि प्रहलाद जाति धाकड़ निवासी सरसी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
16. धापुबाई पत्नि जगन्नाथ जाति धाकड़ निवासी सरसी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

17. चित्तौड़गढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा निम्बाहेडा जरिये शाखा प्रबन्धक चित्तौड़गढ़ सहकारी भूमि विकास शाखा निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़

—रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व
निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा
बमिसल क्रमांक 84/2015 प्राथमिक निर्णय एंव डिक्री दिनांक 30.06.2015

उपस्थित— 1. छोगालाल जाट —अधिवक्ता अपीलान्टगण
2. सावन श्रीमाली —रेस्पोडेन्टगण—1
3. रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 17 बावजूद सूचना अनुपस्थित
4. पूरणमल स्वर्णकार—राजकीय अभिभाषक—रेस्पो.सं. 18

(1) प्रकरण संख्या — डिक्री 402 सन् 2016
पंजीयन दिनांक 13.10.2016

1. मोहनलाल पिता प्रेमचन्द जाति धाकड़ निवासी सरसी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
2. सुखी बाई पत्नि प्रेमचन्द जाति धाकड़ निवासी सरसी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़

—अपीलांटगण

विरूद्व

1. गोपाल पिता मोतीलाल जाति धाकड़ निवासी सरसी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
2. श्यामलाल पिता मोतीलाल जाति धाकड़ निवासी सरसी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
3. मुन्नी बाई पिता मोतीलाल पति शांतिलाल निवासी कनेरा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
4. गुड्डी बाई पिता मोतीलाल पति गोपाललाल निवासी बांगेडाघाटा तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
5. दाखी बाई पत्नि मोतीलाल जाति धाकड़ निवासी सरसी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
6. बंशीलाल पिता मांगीलाल जाति धाकड़ निवासी सरसी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
7. सोहनलाल पिता मांगीलाल जाति धाकड़ निवासी सरसी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
8. लाभचन्द पिता मांगीलाल जाति धाकड़ निवासी सरसी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
9. कला बाई पुत्री मांगीलाल पत्नि सोहनलाल जाति धाकड़ निवासी सरसी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
10. कैलाश चन्द पिता भागु जाति धाकड़ निवासी बरखेडा तहसील मनासा जिला नीमच

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

11. शांतिबाई पुत्री भागु जाति धाकड़ निवासी बरखेडा तहसील मनासा जिला नीमच
12. मंजुबाई पुत्री जगन्नाथ पत्नि कालुराम जाति धाकड़ निवासी मैलाना तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
13. राधा बाई पुत्री जगन्नाथ जाति धाकड़ निवासी सरसी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
14. संतोषबाई पुत्री जगन्नाथ पत्नि पप्पुलाल जाति धाकड़ निवासी सरसी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
15. सुनीता पुत्री जगन्नाथ पत्नि प्रहलाद जाति धाकड़ निवासी सरसी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
16. धापुबाई पत्नि जगन्नाथ जाति धाकड़ निवासी सरसी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
17. चित्तौड़गढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा निम्बाहेडा जरिये शाखा प्रबन्धक चित्तौड़गढ़ सहकारी भूमि विकास शाखा निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़
18. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़

—रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा
बमिसल क्रमांक 84/2015 अंतिम निर्णय एंव डिक्री दिनांक 10.07.2015

उपस्थित— 1. छोगालाल जाट —अधिवक्ता अपीलान्टगण
2. सावन श्रीमाली —रेस्पोडेन्टगण—1
3. रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 17 बावजूद सूचना अनुपस्थित
4. पूरणमल स्वर्णकार—राजकीय अभिभाषक—रेस्पो.सं. 18

निर्णय **दिनांक 17.02.2022**

प्रकरण के संक्षित तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी की ओर से अपीलान्ट व अन्य रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, ,188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत मौजा सरसी तहसील निम्बाहेडा की खाता सं. 228 मे दर्ज आराजी नम्बर 65, 66, 68, 70, 75, 76, 77, 122, 442, 443, 447, 451, 452, 459, 479, 480, 482, 483, 484, 492, 493, 498, 499, 504, 505,676, 755, 756, 762, 763, 787, 854, 892, 936, 1609, 1619, 1620 कुल किता 37 रकबा 5.53 हैक्टेयर के सम्बन्ध मे वादपत्र प्रस्तुत किया कि वह यह निवेदन किया कि विवादित आराजीयात रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी की पैतृक एवं खरीदशुदा कृषि आराजीयात है जिसमे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी का 6/25 हक व हिस्सा निहित है। शेष हक व हिस्सा अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 16 का निहित है। उसी अनुसार रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी उक्त आराजीयात पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। फिर भी अपीलान्टगण प्रतिवादीगण व रेस्पोडेन्ट सं. 2 से 16 रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी के हक व हिस्से से इंकार कर रहे है। ऐसी स्थिति मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी अपना हक व हिस्सा अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्ट

सं. 2 से 16 के साथ संयुक्त रूप से नही रखना चाहते है जिससे रेस्पोडेन्ट सं.1 वादी का हक व हिस्से से बंटवाडा कराया जावे।

उक्त आशय का वादपत्र रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी ने अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 23.06.2015 को प्रस्तुत किया। उसी दिन अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने प्रकरण मे जांच की जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया जिसमे आगामी तारीख पेशी दिनांक 27.07.2015 नियत की गई। जिसमे अपीलान्ट व अन्य रेस्पोडेन्टगण के नोटिस जारी किये जाने का आदेश पारित किया। अपीलान्टगण व रेस्पोडेन्टगण को बिना नोटिस प्राप्त हुए प्रकरण बिना तामील दिनांक 30.06.2015 को लोक अदालत कैम्प सरसी मे नियत किया गया। व लोक अदालत मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी उपस्थित हुआ। उसी दिन प्रकरण मे प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित कर दी गई। व उसके पश्चात् प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2015 की पालना मे कमिश्नर तहसीलदार निम्बाहेडा से फर्द बंटवाडा लिया जाकर दिनांक 10.07.2015 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित कर दी।

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण मे दिनांक 30.06.2015 को पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री व अपीलान्टगण की अनुपस्थिति मे फर्द बंटवाडा कमिश्नर द्वारा तैयार किया जाकर विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया व उसी फर्द बंटवाडे के अनुसार अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.07.2015 से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट ने इस न्यायालय मे अलग-अलग अपीले प्रस्तुत की।

इस न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2015 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 10.07.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत अपीले दर्ज रजिस्टर की जाकर एक साथ सुनी गई। व दोनो अपीलो मे अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली विवादित आराजीयात पक्षकारान समान होने से दोनो अपीलो को एक साथ निर्णित किया जाना न्यायोचित है।

इस न्यायालय मे अपीलान्टगण की ओर से प्रस्तुत अपील मे अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय ने बिना तामील किये बिना किसी राजीनामे के लोक अदालत मे प्रकरण नियत किया जाकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है। प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना मे फर्द बंटवाडा मंगवाया जाकर अपीलान्ट की अनुपस्थिति मे राजस्व मण्ड़ल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित बंटवाडा नियम 18 से 21 की पालना किये बगैर अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने लोक अदालत के तहत दिनांक 10.07.2015 को अंतिम निर्णय व डिक्री पारित कर दी है। जिससे अपीलान्ट की ओर से दोनो अपीले स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2015 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 10.07.2015 निरस्त फरमाई जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी विवादित आराजीयात का सहखातेदार है। सहखातेदार को अपनी

आराजीयात के सम्बन्ध मे बंटवाडा कराये जाने का पूर्णतया वैधानिक अधिकार प्राप्त है। इन्ही अधिकारो के तहत अपीलान्टगण ने बंटवाडा का वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत के तहत नियत किया जाकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री तत्पश्चात् उक्त आराजीयात का कमिश्नर से फर्द बंटवाडा मंगवाया जाकर लोक अदालत के तहत लोक अदालत की भावना से अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है जो न्यायोचित एंव विधिसंगत है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 18 ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2015 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 10.07.2015 को विधिपूर्ण होना बताते हुए अपीलान्टगण की ओर से प्रस्तुत अपील आधारहीन होना बताते हुए निरस्त करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड से अपीलान्टगण सम्पूर्ण आराजीयात 6/25 का खातेदार होना अंकित है। सहखातेदार को अपनी आराजीयात का बंटवाडा कराये जाने का अधिकार होने से बंटवाडे का वादपत्र प्रस्तुत किया जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत कैम्प मे नियत किया जाकर रेस्पोडेन्ट सं. 1 वादी के हक व हिस्से का विभाजन किये जाने की प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित की है। प्राथमिक निर्णय व डिक्री की पालना मे कमिश्नर द्वारा फर्द बंटवाडा तैयार किया जाकर विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया व उक्त फर्द बंटवाडे अनुसार अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने अंतिम निर्णय व डिक्री पारित की है जिससे अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2015 व उसकी पालना मे पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 10.07.2015 मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्टगण अपील क्रमांक डिक्री 403/2016 व अपील क्रमांक डिक्री 402/2016 अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा प्रकरण संख्या 84/2015 प्राथमिक निर्णय व डिकी दिनांक 30.06.2015 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 10.07.2015 यथावत रखी जाती है। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 17.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय व डिक्री की सत्यप्रति के साथ लोटायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ (राज.)

(चावण्डदान चारण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौडगढ

संख्यांक 9

अपील में डिक्री

(आ. 41 नियम 35 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री चावण्डदान चारण आर.ए.एस.

अपील सं. 403/2016 /डिक्री

(1) श्री मोहनलाल पिता प्रेमचन्द जाति धाकड़ निवासी सरसी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
(2) सुखी बाई पत्नि प्रेमचन्द जाति धाकड़ निवासी सरसी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्ट

बनाम

(1) श्री गोपाल पिता मोतीलाल जाति धाकड़ निवासी सरसी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
(2) श्यामलाल पिता मोतीलाल जाति धाकड़ निवासी सरसी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
(3) मुन्नीबाई पिता मोतीलाल पत्नि शांतिलाल निवासी कनेरा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
(4) गुड्डीबाई पिता मोतीलाल पत्नि गोपाललाल निवासी बांगेड़ा घाटा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्ट

विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा दि. 30-6-2015
प्रकरण सं. 84/2015 अन्तर्गत धारा 183,188,209 रा.का.अ. 1955
निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात : यह अपील दिनांक 17-2-2022 को अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री दौलतलाल जाट रेस्पोंडेन्ट की ओर से श्री रेस्पो. 1 श्री माली – 1, रेस्पो. 2 से 17 अनुपस्थित, प्रत्यर्थी राजकीय अधिवक्ता की उपस्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष सुनवाई के लिये आने पर यह आदेश दिया जाता है कि –

अपील अपीलान्ट द्वारा अपील क्रमांक डिक्री 403/2016 व अपील क्रमांक 402/2016 अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा प्रकरण संख्या 84/2015 प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 30-6-2015 व अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 10-7-2015 यथावत रखी जाती है।

इस अपील के खर्चे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है और जिनकी राशि ......—...... रुपये हैं, ...—...... द्वारा दिये जाने है। मूल वाद के खर्चे ......—...... द्वारा दिये जाने हैं।

यह आज दिनांक 17-2-2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

(श्री चावण्डदान चारण आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

दिनांक : 17-2-2022

अपील खर्चे :

अपीलान्ट	रूपये	रेस्पोडेन्ट	रूपये
1. अपील के ज्ञापन के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. आदेशिकाओं की तामील		3. आदेशिकाओं की तामील	
4. .... रू. पर प्लीडर की फीस		4. .... रू. पर प्लीडर की फीस	
योग		योग	

P.T.O.

(5) हरखी बाई पत्नि मोतीलाल जाति धाकड़ निवासी सरसी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़

(6) बंशीलाल पिता मांगीलाल जाति धाकड़ निवासी सरसी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़

(7) सोहनलाल पिता मांगीलाल धाकड़ निवासी सरसी तहसील निम्बाहेड़ा

(8) रामचन्द्र पिता मांगीलाल जाति धाकड़ निवासी सरसी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़

(9) केसाबाई पुत्री मांगीलाल पत्नि सोहनलाल जाति धाकड़ निवासी सरसी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़

(10) कैलाशचन्द्र पिता भागु जाति धाकड़ निवासी सरवेड़ा तहसील मनासा जिला नीमच

(11) शांतिबाई पुत्री भागु जाति धाकड़ निवासी सरवेड़ा तहसील मनासा जिला नीमच

(12) मंजुबाई पुत्री जगन्नाथ पत्नि कालुराम जाति धाकड़ निवासी भैलाना तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़

(13) राधाबाई पुत्री जगन्नाथ जाति धाकड़ निवासी सरसी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़

(14) संतोषबाई पुत्री जगन्नाथ पत्नि बापुलाल जाति धाकड़ निवासी सरसी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़

(15) सुनीता पुत्री जगन्नाथ पत्नि प्रहलाद जाति धाकड़ निवासी सरसी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़

(16) बापुबाई पत्नि जगन्नाथ जाति धाकड़ निवासी सरसी तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़

(17) चित्तौड़गढ़ सहकारी भूमि बैंक शाखा निम्बाहेड़ा जरिये शाखा प्रबन्धक चित्तौड़गढ़ सहकारी भूमि विकास शाखा निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़

(18) राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़